(कम से कम तीन महिलायें, सदस्यों की संख्या हेतु कोई ऊपरी सी[illegible] नहीं)

डब्ल्यू.सी. में कम से कम दस सदस्य होंगे, जिनमें अनिवार्य रूप से [illegible]न सदस्य इसी गाँव से निर्वाचित पंच होंगे, कम से कम तीन सदस्य महिलायें होंगी। एक सदस्य परियोजना अधि[illegible]ारी द्वारा पी.आई.ए. के सदस्यों में से नामांकित होगा। पी.आई.ए. के सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य गाँव के नि[illegible]ासी होंगे तथा उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी।

4. डब्ल्यू.सी. का गठन करने वाले सभी हस्ताक्षरकर्ता, डब्ल्यू.सी. के उ[illegible] समय त[illegible] सदस्य रहेंगे जब तक वे स्वयं इस्तीफे नहीं देते या डब्ल्यू.सी. के बहुमत के फैसले द्वारा हटा[illegible] दिये जाते। सदस्यों को, ग्राम सभा के संकल्प या पी.आई.ए. के परियोजना अधिकारी के आदेश द्वारा ह[illegible]या जा सकता है।

5. ग्राम सभा अथवा डब्ल्यू.सी. के स्वतः के संकल्प द्वारा अतिरिक्त सदस्[illegible]ों को सम्मलित किया जा सकता है। डब्ल्यू.सी. में सदस्यों को बढ़ाया जाना अथवा हटाया जाना, पी.आई.ए. अ[illegible]वा पी.आई.ए. के परियोजना अधिकारी के सहमति पर ही संभव है।

6. डब्ल्यू.सी. के सदस्य पागल होने या दिवालिया होने या चारित्रिक दो[illegible] के आधार पर आपराधिक प्रकरण में दोषी पाये जाने पर सदस्यता से वंचित होंगे।

7. रिक्त पद पर नियुक्ति के अभाव या अन्यथा की स्थिति में भी डब्ल्यू.सी. कार्य करेगा एवं डब्ल्यू.सी. का कोई भी कार्य, उपरोक्त वर्णित कार[illegible] से अथवा डब्ल्यू.सी. के किसी सदस्य की नियुक्ति में दोष होने के कारण अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा।

8. डब्ल्यू.सी. अपने मुख्यालय पर अपने सदस्यों का रजिस्टर रखेगी जिसमें निम्न विवरण अंकित किये जावेंगे :

(अ). प्रत्येक सदस्य का नाम तथा पता।

(ब) दिनांक जब वे सदस्य बने।

(स) दिनांक जिससे वे सदस्यता से वंचित हुये।

[illegible]सी. के अधिकार एवं कर्तव्य

9. ज्ञापन के पैरा 4 में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये डब्ल्यू.सी. के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :-

(1) डी.आर.डी.ए. अथवा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करना।

(2) गहन जन सहयोग प्रक्रिया द्वारा गाँव के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास की कार्य योजना तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

(3) योजना में प्रस्तावित गतिविधियों को उपयोगकर्ता दल स्वावलम्बन दल एवं अन्य समान रूचि वाले समूहों द्वारा क्रियान्वित कराना।

(4) जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं के संचालन तथा रखरखाव के लिए निर्मित फन्ड हेतु लाभान्वित ग्रामवासियों से योगदान प्राप्त करना।

(5) वाटरशेड विकास गतिविधियों द्वारा उपजे लाभों का समुचित बटवारा सुनिश्चित कराना।

(6) महिलाओं के साख एवं बचत समूहों को प्रोत्साहित करना।

(7) गाँव में वातावरण निर्माण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित कराना।

(8) सहयोग राशि, प्रतिभूति या किसी भी प्रकार की सम्पत्ति एवं किसी भी ट्रस्ट या धर्मादा संस्थान से राशि या दान जो डब्ल्यू.सी. के उद्देश्यों से विपरीत नहीं हो उसे स्वीकारना।

(9) चल या अचल सम्पत्ति को खरीदना, किराये पर या लीज पर लेना, या अन्य विधि से प्राप्त करना एवं किसी भी भवन का निर्माण, उसमें परिवर्तन या रख-रखाव जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हो, [illegible]रना।

(10) क्षेत्र की पी.आई.ए. तथा ग्राम सभा के पर्यवेक्षण में कार्य करना।

(11) वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे डी.आर.डी.ए. को भिजवाना।

(12) उन सभी गतिविधियों को लेना जो लक्ष्य प्राप्ति के लिये आवश्यक है।

डब्ल्यू.सी. की कार्यवाहियाँ

10. डब्ल्यू.सी. की बैठकों की अध्यक्षता, डब्ल्यू.सी. द्वारा अपने सदस्यों में से चुने अध्यक्ष द्वारा की जावेगी।

11. डब्ल्यू.सी. की बैठकों में डब्ल्यू.सी के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी परन्तु स्थगित बैठक के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है। पी.आई.ए. के प्रतिनिधि सदस्य की अनुपस्थिति में सम्पन्न बैठक अवैध होगी।

12. डब्ल्यू.सी. की हर बैठक के लिये स्पष्ट सात दिन का नोटिस डब्ल्यू.सी. के प्रत्येक सदस्य को दिया जावेगा बशर्ते :-

(अ) पी.आई.ए. का प्रतिनिधि 24 घंटे के नोटिस पर आपात बैठक बुला सकते है।

(ब) अनजाने में नोटिस भेजने में हुई त्रुटि या सदस्य द्वारा नोटिस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, किसी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

4